भारत निर्वाचन आयोग

ईपीएबीएक्स 011-23052205/ 2206/2207/2208 निर्वाचन सदन
फैक्स 011-23052219/2223/2224/2225 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
वेबसाइटः www.eci.nic.in

सं. ईसीआई/प्रे.नो./22/2018 दिनांक: 27 मार्च, 2018

प्रेस नोट

विषय: कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 हेतु अनुसूची की घोषणा।

कर्नाटक विधान सभा के कार्यकाल का अवसान सामान्य रूप में 28.05.2018 को होने वाला है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अंतर्गत अपनी शक्तियों, कर्तव्यों और प्रकार्यों के नाते, आयोग के लिए कर्नाटक राज्य की विधान सभा के वर्तमान कार्यकाल का अवसान होने से पहले नई विधान सभा का गठन करने के लिए निर्वाचनों का आयोजन कराना अपेक्षित है।

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

कर्नाटक राज्य में विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या और संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 द्वारा यथा-निर्धारित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें नीचे दी गई हैं:-

राज्य	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
कर्नाटक	224	36	15

(2) निर्वाचक नामावलियां

आयोग का दृढ़ विश्वास है कि विशुद्ध एवं अद्यतनीकृत निर्वाचक नामावलियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय निर्वाचन का आधार हैं तथा इनकी गुणवत्ता, वस्तुस्थिति और विश्वसनीयता में सुधार लाने पर गहन एवं सतत ध्यान दिया जाता है। निर्वाचनाधीन राज्य का दौरा करने के पश्चात आयोग ने राज्य निर्वाचन मशीनरी को निदेश दिया था कि वे 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण को सुचारू, प्रभावी, समावेशी तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य के सभी पात्र परन्तु अपंजीकृत नागरिक निर्वाचक नामावलियों में

सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हों। निर्वाचक नामावलियों में महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करने हेतु विशेष प्रयास किए गए और उनका समाधान करने के लिए लक्षित स्वीप क्रियाकलाप किए गए।

01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में कर्नाटक राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की विद्यमान निर्वाचक नामावलियों संशोधित कर दी गई हैं। कर्नाटक के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 28.02.2018 को कर दिया गया है। अंतिम प्रकाशन के विवरण एनवीएसपी वेबसाइट (www.nvsp.in)/सी.ई.ओ., कर्नाटक वेबसाइट (www.ceokarnataka.kar.nic.in) पर उपलब्ध हैं। अंतिम निर्वाचन नामावली के अनुसार, राज्य में निर्वाचकों की संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य	प्रारूप निर्वाचक नामावलियों के अनुसार निर्वाचकों की कुल संख्या	अंतिम निर्वाचक नामावलियों के अनुसार निर्वाचकों की कुल संख्या
कर्नाटक	**4,90,06,901 (लगभग 4.90 करोड)**	**4,96,82,357 (लगभग 4.968 करोड)**

(क) <u>फोटो निर्वाचक नामावलियां</u>

इस साधारण निर्वाचन के दौरान फोटो निर्वाचक नामावलियों का इस्तेमाल किया जाएगा और इस राज्य की फोटो निर्वाचक नामावलियों में फोटो की प्रतिशतता **99.47%** है।

(ख) **<u>निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक)</u>**

मतदान के समय मतदान बूथ पर मतदाताओं की पहचान की जानी अनिवार्य होगी। जिन निर्वाचकों को एपिक उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी एपिक के माध्यम से पहचान की जाएगी। वर्तमान में, कर्नाटक में एपिक का कवरेज **97.46%** है।

शेष रह गए सभी निर्वाचकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तुरंत प्राप्त कर लें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी मतदाता को, उसके मताधिकार से ऐसी परिस्थिति में वंचित न होना पड़े जब उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज हो, मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के लिए, जरूरत पडने पर पृथक रुप से अनुदेश जारी किए जाएंगे। मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को भी एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) <u>फोटो मतदाता पर्ची (पी.वी.एस.)</u>

मतदाताओं को इस बात की जानकारी प्रदान करने के लिए कि वे किस विशेष मतदान केन्द्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं और निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या क्या है, आयोग ने निदेश दिया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी पंजीकृत मतदाताओं को **निर्वाचक (जहां कहीं भी नामावली में दर्ज हों) की फोटोयुक्त** आधिकारिक **मतदाता पर्ची मतदान की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले वितरित की जाए** और जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित सामान्य प्रेक्षक द्वारा वितरण प्रक्रिया की अत्यन्त सतर्क एवं सख्त निगरानी की जाए। फोटो मतदाता पर्ची का साइज, डिजाइन एवं फार्मेट में भी काफी सुधार किया गया है ताकि मतदाता पहचान के निमित्त इसकी उपादेयता एवं प्रभावकारिता बढ़ सके। इमेज का साइज बढ़ाया गया है और मागदर्शन प्राप्त हो, इसके लिए पर्ची के उलटे तरफ मतदान केन्द्र नज़री नक्शे के साथ अतिरिक्त सूचना दी गई है। यह भी निदेश दिए गए हैं कि उक्त मतदाता पर्ची उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए प्रकाशित निर्वाचक नामावली की भाषाओं में ही होनी चाहिए। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (बी एल ओ) के माध्यम से फोटो मतदाता पचियों के सुव्यवस्थित, कुशल और समयबद्ध वितरण पर बल दिया है जिन्हें इस बात के सख्त अनुदेश दिए गए हैं कि वे केवल संबंधित निर्वाचक को ही मतदाता पर्ची सौंपे न कि किसी अन्य व्यक्ति को। बी एल ओ मतदाताओं का पूर्व-मुद्रित रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे और उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लेंगे जिसको फोटो मतदाता पर्ची सौंपी गई है।

बी.एल.ओ. द्वारा बची रह गई अवितरित मतदाता पर्चियां संबंधित ई.आर.ओ. को लौटा दी जाएंगी जो उसे प्रत्येक भाग/मतदान केन्द्र के संदर्भ में अवितरित रह गई पी.वी.एस. की वर्णानुक्रम के अनुसार सूची बनाकर उसे मुहरबंद लिफाफे में रखेंगे। वर्णानुक्रम के अनुसार बनाई गई ऐसी सूचियों की दो प्रतियां संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र के आर.ओ. को सौंपी जाएंगी जबकि अवितरित रह गई फोटो मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा ई.आर.ओ. के पास सुरक्षित अभिरक्षा में पडा रहेगा। उसे ईआरओ को लौटाए जाने के बाद फोटो मतदाता पर्चियों का आगे वितरण नहीं किया जाएगा।

(घ) **मतदाता गाइड:**

इस निर्वाचन में, **मतदाता गाइड (कन्नड/अंग्रेजी में)** निर्वाचनों से पहले **प्रत्येक** घर-परिवार को सौंपी जाएगी जिसमें मतदानों की तारीख एवं समय, बीएलओ के संपर्क विवरण, महत्वपूर्ण वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, मतदान केन्द्र में पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए क्या करें और क्या न करें, के बारे में सूचना दी जाएगी। यह मतदाता गाइड विवरणिका बीएलओ द्वारा फोटो मतदाता पर्चियों के साथ वितरित की जाएगी।

(3) <u>मतदान केन्द्र और विशेष सुविधाएं</u>

कर्नाटक में मतदान केन्द्रों की संख्या निम्नलिखित अनुसार हैः

राज्य	वर्ष 2013 में मतदान केन्द्रों की संख्या	वर्ष 2018 में मतदान केन्द्रों की संख्या	% वृद्धि
कर्नाटक	**52,034**	**56,696**	**9%**

(क) <u>मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ):</u>

आयोग ने मतदान केन्द्रों पर सुविधाओं की वस्तुस्थिति को बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं (बीएमएफ) की पूर्ववर्ती संकल्पना से बढ़ाकर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) में स्तरोन्नत कर दिया है। तदनुसार, मतदाताओं की सुविधा एवं फैसिलिटेशन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक मतदान केन्द्र सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) जैसे पेय-जल, शेड, टॉयलेट, नि:शक्त मतदाताओं के लिए रैम्प और एक मानक वोटिंग कम्पार्टमेंट आदि से युक्त हो।

(ख) <u>दिव्यांगजनों के लिए सुविधाः</u>

आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि यथा-व्यवहार्य, सभी मतदान केन्द्र भूतल पर ही स्थित हों और व्हील चेयर वाले नि:शक्त निर्वाचकों की सुविधा के लिए मजबूत रैम्प उपलब्ध करवाए जाएं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग मतदाताओं को लक्षित एवं जरूरत-आधारित सुविधा प्रदान करने के लिए आयोग ने निदेश दिया है कि एक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के सभी दिव्यांगजनों की पहचान की जाए और उन्हें उनके संबंधित मतदान केन्द्रों से टैग किया जाए और मतदान दिवस के दिन उन्हें निर्विघ्न एवं सुविधाजनक मतदान अनुभव प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक नि:शक्तता-केन्द्रित व्यवस्थाएं की जाएं। रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त स्वयंसेवकों द्वारा अभिज्ञात नि:शक्तजनों की सहायता की जाएगी। मतदान केन्द्रों में दिव्यांग निर्वाचकों को विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही यह भी निदेश दिए गए हैं कि अन्यथा सक्षम निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के लिए प्राथमिकता दी जाए, मतदान परिसर के प्रवेश द्वार के समीप ही विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान का प्रावधान किया जाए तथा मूक और बधिर निर्वाचकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। नि:शक्त मतदाताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में मतदान कार्मिकों को संवेदनशील बनाने पर विशेष फोकस दिया गया है।

(ग) <u>मतदाता सुविधा पोस्टर:</u>

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के **नियम 31** के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए और प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता जागरूकता और जानकारी के लिए सटीक एवं

प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि मतदाताओं को और अधिक सुविधा प्रदान करने और उनमें जागरूकता लाने के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर एकसमान और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (वीएफपी) प्रदर्शित किए जाएंगे। मतदान दिवस से सुसंगत मतदाता-केन्द्रित जानकारी जैसे मतदान बूथ के विवरण, उस विशेष मतदान बूथ के लिए विनिर्दिष्ट मतदान-क्षेत्र, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, महत्वपूर्ण निर्वाचन पदाधिकारियों के संपर्क विवरण, विहित पहचान दस्तावेजों की सूची, निदर्शी मतदान प्रक्रिया, पोलिंग बूथ के चारों ओर निषिद्ध वस्तुएं और मतदान दिवस को पालन किए जाने वाले क्या करें और क्या न करें सम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करने के लिए कुल मिलाकर चार (4) पोस्टर डिजाइन किए गए हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि इन चारों वीएफपी को निर्वाचनाधीन राज्य में प्रत्येक मतदान बूथ में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(ङ) <u>मतदाता सहायता बूथ (वीएबी):</u>

प्रत्येक मतदान केन्द्र लोकेशन के लिए मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे। इन बूथों में बीएलओ/कर्मचारियों की एक ऐसी टीम होगी जिनका उद्देश्य मतदाता को उसकी मतदान बूथ संख्या और उस संबंधित मतदान बूथ की निर्वाचक नामावली में उस मतदाता की क्रम संख्या ढूढ़ने में मदद करना है। मतदाता सहायता (वीएबी) बूथ सुस्पष्ट संकेतकों के साथ और इस तरीके से स्थापित किए जाएंगे जो मतदान परिसर/भवन आने वाले मतदाताओं के लिए सहजदृश्य होंगे जिससे कि वे मतदान दिवस के दिन अपेक्षित फैसिलिटेशन प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

(च) <u>मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए- मानकीकृत वोटिंग कम्पार्टमेंट की ऊंचाई बढ़ाना:</u>

मतदान के समय मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और वोटिंग कम्पार्टमेंटों के इस्तेमाल में एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग ने वोटिंग कम्पार्टमेंटों की ऊंचाई को 24 ईंच से बढ़ाकर 30 इंच करने के लिए संशोधित अनुदेश जारी किए हैं। यह भी निदेश दिया है कि वोटिंग कम्पार्टमेंट को ऐसी मेज पर रखा जाना चाहिए जिनकी ऊंचाई 30 इंच हो और वोटिंग कम्पार्टमेंटों को बनाने के लिए स्टील-ग्रे रंग के केवल नालीदार ऐसे प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स-बोर्ड) का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो पूरी तरह अपारदर्शी और पुनर्उपयोग-योग्य हो। आयोग को उम्मीद है कि सभी मतदान बूथों में इन मानकीकृत और एकसमान वोटिंग कम्पार्टमेंटों के इस्तेमाल से मतदाताओं को और अधिक सहूलियत मिलेगी, मत की गोपनीयता बढ़ेगी और मतदान बूथों के भीतर वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाने में विचलन दूर होंगे और असमानता दूर होगी।

(4) <u>महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था</u>

लैंगिक समानता और निर्वाचकीय प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक से अधिक रचनात्मक भागीदारी के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि 'केवल महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केन्द्र' जहां तक संभव हो सके, **प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र**

में स्थापित किए जाएंगे जिनमें पुलिस और सुरक्षा कर्मी सहित सम्पूर्ण मतदान स्टॉफ महिलाएं होंगी। सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में पहली बार महिलाओं द्वारा प्रबन्धित 224 मतदान केन्द्र स्थापित किए जांएगे।

(5) <u>इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) एवं वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी):</u>

पूरे कर्नाटक के सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम एवं वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएंगा ताकि निर्वाचन की पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित हो। आयोग ने निर्वाचन के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम एवं वीवीपीएटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्थाएं की हैं। **ईवीएम एवं वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच** राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई है। **ईवीएम एवं वीवीपीएटी का दो चरणों में यादृच्छिकीकरण** भी किया जाएगा। पहले चरण में, जिला ईवीएम वेयरहाउस में स्टोर की गई सभी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रवार आबंटित किए जाने के लिए, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा यादृच्छिकीकृत की जाएंगी। ईवीएम एवं वीवीपीएटी का द्वितीय यादृच्छिकीकरण ईवीएम एवं वीवीपीएटी को मतदान केन्द्रवार आबंटित करने के लिए उन्हें तैयार करने से पहले आरओ स्तर पर किया जाएगा। यह भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में किया जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत यह प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस चरण में भी, अभ्यर्थियों या उनके एजेंटों/प्रतिनिधियों को ईवीएम एवं वीवीपीएटी की त्रुटिमुक्त प्रकार्यात्मकता के बारे में हर एक तरीके से जांच करने और अपने आपको संतुष्ट कर लेने की अनुमति दी जाएगी। प्रायोगिक आधार पर, प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में एक (1) मतदान केन्द्र को कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणाम के सत्यापन के लिए वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना करने के लिए यादृच्छिकीकृत रूप से चयनित किया जाएगा। इस प्रकार, कर्नाटक में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र की पेपर पर्चियां गिनी जाएंगी।

(क) **<u>छद्म मतदान (मॉक पोल)</u>:** प्रथम स्तरीय जांच के दौरान ईवीएम एवं वीवीपीएटी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल का आयोजन किया जाता है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी को चालू किए जाने के दौरान भी अभ्यर्थियों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, मतदान दिवस को वास्तविक मतदान आरंभ होने से पूर्व, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नियत मतदान एजेन्टों की उपस्थिति में वास्तविक मतदान के शुरू होने से पूर्व प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल आयोजित किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल के सफलतापूर्वक संचालन किए जाने का **प्रमाण-पत्र** दिया जाएगा। मॉक पोल के संचालन के तत्काल बाद मॉक पोल के डाटा को क्लीयर करने और इस तथ्य के लिए कि कंट्रोल यूनिट में कोई भी मत रिकार्ड नहीं है, ईवीएम

पर **क्लियर बटन को दबाया जाएगा** एवं उपस्थित मतदान एजेन्टों के समक्ष इसे प्रदर्शित किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मतदान शुरू होने से पहले सभी छद्म मतदान पर्चियां निकाल दी जाएं और पृथक चिह्नित लिफाफे में रख दी जाए। आयोग ने मॉक पोल के संचालन के संबंध में सभी मतदान कर्मियों को **उपयुक्त प्रशिक्षण** दिया जाना सुनिश्चित करने तथा राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, उनके मतदान एजेन्टों तथा अन्य हितधारकों को मॉक पोल की प्रक्रिया के बारे में **जागरूक करने** के लिए निदेश जारी किए हुए हैं।

(ख)<u>ईवीएम एवं वीवीपीएटी में 'इनमें से कोई नहीं' (नोटा) का विकल्प</u>: वर्ष 2004 की रिट याचिका (सिविल) सं. 161 (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ एवं अन्य) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27 सितंबर, 2013 में निदेश दिया है कि मतपत्रों और ईवीएम पर "इनमें से कोई नहीं" (नोटा) का विकल्प होना चाहिए।

बैलेटिंग यूनिट पर **आखिरी उम्मीदवार के नाम के नीचे** अब नोटा विकल्प के लिए एक बटन होगा ताकि ऐसे निर्वाचक जो किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहते हैं वे नोटा के सामने बटन दबाकर अपने विकल्प का प्रयोग कर सकें। **आयोग ने (नोटा) विकल्प के लिए एक नया प्रतीक उपलब्ध कराया है** जिसे नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डिजाइन (एन आई डी) द्वारा डिजाइन किया गया था। इस नए प्रतीक से मतदाताओं को अपना मत डालने में सुविधा होगी।

<u>नोटा प्रतीक</u>

आयोग इसे मतदाताओं और अन्य सभी हितधारकों की जानकारी में लाने और नोटा के प्रावधान एवं इसके प्रतीक के बारे में मतदान कर्मियों सहित फील्ड स्तरीय सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है।

(ग) **<u>वीवीपीएटी (मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल)</u>**

निर्वाचनाधीन राज्य कर्नाटक के सभी 224 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि निर्वाचन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढाई जा सके। वीवीपीएटी के बारे में मतदाताओं में

जागरूकता और जानकारी बढाने के लिए कर्नाटक में पहले ही एक व्यापक स्वीप कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(घ) <u>ईवीएम मतपत्र पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ</u>

अभ्यर्थियों की पहचान करने में निर्वाचकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग ने ईवीएम (बैलट यूनिट) के साथ-साथ डाक मतपत्र पर प्रदर्शित किए जाने वाले मतपत्र पर भी अभ्यर्थी का फोटोग्राफ मुद्रित करने के प्रावधान किए जाने के माध्यम से एक अतिरिक्त उपाय विहित किया है। इससे यह लाभ भी होगा कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक ही नाम या मिलते-जुलते नामों के अभ्यर्थियों के मध्य संभावित भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रयोजन से, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार अपना नवीनतम स्टाम्प के आकार का फोटो रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करें। निर्वाचनाधीन राज्य मतपत्र पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ का पहली बार प्रयोग करेंगे। इस अनुदेश का अनिवार्य रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके, इसके लिए अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

(6) <u>मतदान कार्मिकों की तैनाती और यादृच्छिकीकरणः</u>

मतदान दलों का, विशेष यादृच्छीकीकरण आईटी साफ्टवेयर के माध्यम से, यादृच्छिकीकृत रूप से गठन किया जाएगा। **तीन चरणों वाला यादृच्छिकीकरण** अपनाया जाएगा। पहले चरण में, पात्र कर्मचारियों के अपेक्षाकृत व्यापक डिस्ट्रिक्ट डाटाबेस से अपेक्षित संख्याओं के न्यूनतम 120% की लघुकृत सूची का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा। इस समूह को मतदान ड्यूटियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में, इस प्रशिक्षित जनशक्ति में से, सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में रैंडम सिलेक्शन साफ्टवेयर के द्वारा यथापेक्षित वास्तविक मतदान दलों का गठन किया जाएगा। तीसरे यादृच्छिकीकरण में, मतदान दल के प्रस्थान के ठीक पहले इन मतदान दलों को यादृच्छिक रूप से मतदान केन्द्र आंबटित किए जाएंगे। ऐसे पुलिस कर्मचारियों तथा होम गार्डों जिन्हें मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों में तैनात किया जाएगा, के लिए भी ऐसा यादृच्छिकीकरण किया जाएगा।

(7) सेवा मतदाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस):

01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग के विशेष सार पुनरीक्षण के दौरान आयोग द्वारा इस बात के प्रयास किए गए हैं कि सही विवरणों के साथ सेवा मतदाताओं के पंजीकरण को अधिक से अधिक किया जाए। राज्य में सेवा मतदाताओं की नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 31 जनवरी, 2018 को किया गया है और सतत अद्यतनीकरण का चरण चल रहा है।

आयोग ने फरवरी-मार्च, 2017 के दौरान आयोजित राज्य विधान सभा निर्वाचनों में ईटीपीबीएस पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मणिपुर के चार राज्यों में और गोवा के सम्पूर्ण राज्य में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया है आयोग ने मेघालय नागालैण्ड और त्रिपुरा की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों में और पिछले छह महीनों में संचालित सभी उप-निर्वाचनों में ईटीपीबीएस को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। इसे आगामी कर्नाटक विधान सभा निर्वाचन में भी लागू किया जाएगा।

(8) <u>अभ्यर्थियों के शपथ-पत्र :</u>

(क) <u>सभी स्तंभ भरे जाने हैं</u> : वर्ष 2008 की रिट याचिका (सिविल) सं. 121 (रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, दिनांक 13 सितंबर, 2013, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, रिटर्निंग अधिकारी के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि "वह इस बात की जांच करें कि क्या नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ-पत्र दाखिल करते समय अपेक्षित सूचना (अभ्यर्थी द्वारा) पूरी तरह उपलब्ध करा दी गई है", के अनुसरण में आयोग ने निदेश जारी किए हैं कि नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे सभी स्तंभों को भरें। शपथ-पत्र में यदि कोई स्तंभ खाली छोड़ा जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को सभी स्तंभ विधिवत रूप से भरे जाने के साथ शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के उपरांत, अगर अभ्यर्थी सभी दृष्टियों से पूर्ण शपथ-पत्र दाखिल करने में विफल रहता है तो नाम-निर्देशन पत्र संवीक्षा के समय अस्वीकृत किए जाने का भागी बनेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आयोग के अनुदेशों के बारे में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अवगत कराएं।

(ख) 'बेबाकी प्रमाणपत्र' के साथ अतिरिक्त शपथ-पत्र:

आयोग ने रिट याचिका (सी) नं 4912/1998 (कृषक भारत बनाम भारत संघ और अन्य) के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 7 अगस्त, 2015 के निर्णय के अनुसरण में, निर्देश दिया है कि प्रत्येक निर्वाचन में, चाहे वह संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधान-मंडल का हो, नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक अभ्यर्थी बिजली, पानी और टेलीफोन सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियों से 'बेबाकी प्रमाण पत्र' के साथ विहित फार्मेट में एक अतिरिक्त शपथ-पत्र भी दाखिल करेगा। यदि वह पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी सरकारी मकान का अधिभोग करता रहा हो तो उसे किराए के संबंध में भी 'बेबाकी प्रमाण पत्र' देना होगा। यह शपथ पत्र फार्म-26 में दायर किए जाने के लिए अपेक्षित शपथ-पत्र के अतिरिक्त होगा, और शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट

द्वारा अनुप्रमाणित करवाया जाएगा। यह शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अंतिम समय-सीमा नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के अप. 3.00 बजे होगी। यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि 'बेबाकी प्रमाणपत्र' के साथ शपथ-पत्र दाखिल करने में की गई कोई भी असफलता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-36 के प्रयोजनार्थ सारवान स्वरूप की त्रुटि के रूप में मानी जाएगी।

(ग) नामनिर्देशन-पत्र और प्ररूप 26 में शपथ-पत्र के फार्मेट में परिवर्तन:

अधिसूचनाएं दिनांक 16 सितंबर, 2016 और 7 अप्रैल, 2017 के जरिए नाम-निर्देशन प्ररूप 2क एवं 2ख के भाग III-क और नाम-निर्देशन प्ररूप 2ग, 2घ और 2ङ. के भाग II में संशोधन कर दिया गया है। अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 2017 के जरिए प्ररूप 26 में शपथ-पत्र का भाग क भी संशोधित कर दिया गया है जिसमें सम्पर्क टेलीफोन नम्बर, ई-मेल आईडी और अभ्यर्थी के सोशल मीडिया एकाउंट तथा अभ्यर्थी एवं पति/पत्नी की आमदनी के स्रोत का विवरण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। संशोधित नाम-निर्देशन प्ररूपों एवं प्ररूप 26 में शपथ-पत्र की प्रति आयोग के पत्र सं. 3/4/ईसीआई/एलईटी/प्रकार्यात्मक/न्यायिक/एसडीआर/वाल्यूम I/2016 दिनांक 7 जुलाई, 2017 के जरिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को परिचालित कर दिए गए हैं।

(9) <u>जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना (डी ई एम पी)</u>

निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को एस.एस.पी./एस.पी. तथा सेक्टर अधिकारियों के परामर्श से रूट योजना और संचार योजना सहित व्यापक जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा गया है। इन योजनाओं की भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अनुसरण में संवेदनशीलता मानचित्रण निष्पादन एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का ध्यान रखते हुए **प्रेक्षकों द्वारा पुनरीक्षा** की जाएगी।

(10) <u>संचार योजना</u>

आयोग निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए जिला/निर्वाचन-क्षेत्र स्तर पर एक उपयुक्त संचार योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने और मतदान के दिन समवर्ती हस्तक्षेप और मध्यकालिक संशोधन करने में सक्षम होने को बहुत महत्व देता है। उक्त प्रयोजन के लिए आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निदेश दिया है कि वे राज्य मुख्यालय में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों, बीएसएनएल/एमटीएनएल के प्राधिकारियों, राज्यों के अन्य अग्रणी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करें ताकि राज्यों में नेटवर्क स्थिति का आकलन किया जा सके और संचार शैडो क्षेत्रों की पहचान की जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह सलाह भी दी गई है कि वे राज्य में सर्वश्रेष्ठ

संचार योजना तैयार करें तथा सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट, विशेष रनर्स आदि उपलब्ध कराते हुए संचार शैडो क्षेत्रों में उपयुक्त वैकल्पिक प्रबंध करें।

(11) <u>आदर्श आचार संहिता</u>

आदर्श आचार संहिता **तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।** आदर्श आचार संहिता के सभी उपबंध कर्नाटक के सम्पूर्ण हिस्सों के साथ-साथ सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और कर्नाटक राज्य सरकार पर लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता इस राज्य के संदर्भ में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली इस राज्य से सम्बधित/के लिए घोषणाओं/ नीतिगत निर्णयों पर भी लागू होगी।

आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने विस्तृत व्यवस्थाएं की हैं। इन दिशा-निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से कड़ाई से निपटा जाएगा और आयोग इस बात पर पुन :जोर देता है कि इस बारे में समय-समय पर जारी अनुदेशों को सभी राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों द्वारा पढ़ा व समझा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के अविश्वास या सूचना के अभाव अथवा अधूरी समझ/व्याख्या से बचा जा सके। निर्वाचन करवाए जाने वाले राज्यों की सरकारों को यह भी निदेश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सरकारी तंत्र/पद का दुरुपयोग न हो।

आयोग ने निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के शुरुआती 72 घंटों के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए त्वरित, प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई करने के लिए भी और मतदान की समाप्ति से पहले आखिरी 72 घंटों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सख्त प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए भी अनुदेश जारी किए हैं। ये अनुदेश, इनका फील्ड निर्वाचन मशीनरी द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के रूप में जारी किए गए हैं।

(12) <u>वीडियोग्राफी/ वेबकास्टिंग/सीसीटीवी कवरेज</u>

सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में वीडियो और डिजीटल कैमरे और कैमरा टीमों की व्यवस्था करेंगे। वीडियोग्राफी किए जाने वाले आयोजनों में नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करना और उनकी संवीक्षा करना और प्रतीकों का आबंटन, प्रथम स्तरीय जांच, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को तैयार करना और उनका भंडारण, निर्वाचन-अभियान के दौरान महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठकें, जुलूस आदि, डाक मतपत्रों के प्रेषण की प्रक्रिया, अभिचिह्नित संवेदनशील मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया, मतदान में प्रयुक्त ईवीएम एवं वीवीपीएटी का भंडारण, मतों की गणना आदि शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रभावी अनुवीक्षण और निगरानी करने के लिए महत्वपूर्ण सीमा चैक पोस्टों और स्थैतिक जांच बिन्दुओं पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके

अतिरिक्त आयोग ने निदेश दिए है कि संवेदनशील क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान बूथों और मतदान बूथों के भीतर, मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता भंग किए बिना, मतदान दिवस पर कार्यवाहियों की बारीकी से जांच करने के लिए वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और डिजीटल कैमरे लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी।

(13) <u>लोक उपद्रव को रोकने के लिए उपाय:</u>

(क) निर्वाचन अभियान/प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए <u>पर्यावरण अनुकूल पदार्थों</u> का उपयोग करना- जीवन-दाता और जीवन-संरक्षक पर्यावरण पर प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि जैसी सामग्रियों के दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव पर विचार करते हुए, आयोग ने निदेश दिए हैं कि सभी राजनीतिक दल, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और उनके अधिकृत एजेंट आदि कर्नाटक विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचन के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रचार सामग्री की तैयारी एवं उपयोग करने के लिए प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि जैसी **पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक सामग्री का उपयोग करने से दूर रहेंगे।** जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ बैठक के दौरान पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण के महत्व पर जोर दें और यह सुनिश्चित करें कि निर्वाचन-प्रचार के दौरान प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि जैसी पर्यावरण के प्रतिकूल सामग्री के उपयोग के संबंध में आयोग के अनुदेशों का सभी संबंधितों द्वारा पालन किया जाए। सीईओ राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री के लिए पर्यावरण के अनुकूल एवं जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाली सामग्री का इस्तेमाल करने की महत्ता से अवगत कराएंगे और इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

(ख) <u>लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध:</u>

आयोग उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और उनके एजेंटों द्वारा अपने पक्ष में पक्ष-याचना और प्रचार करने के दौरान लाउडस्पीकरों के लापरवाह, व्यापक और खुल्लम-खुल्ला इस्तेमाल करने के द्वारा तीव्र 'ध्वनि प्रदूषण' करने और भारी व्यवधान करने को लेकर काफी चिंतित है। विशेष रूप से, छात्र वर्ग को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित होती है क्योंकि लाउडस्पीकर सुबह में काफी पहले बजना शुरू कर देते हैं और पूरे दिन तथा रात्रि में देर तक बजते रहते हैं। इसी तरह, वृद्ध, अशक्त और रूग्ण व्यक्तियों, चाहे वे संस्थानों, अस्पतालों, आदि में हों, या घर में हों, को काफी असुविधा होती है। ऐसी अशांति को रोकने के लिए आयोग ने निदेश दिया है कि निर्वाचन की घोषणा की तारीख से शुरू होने वाली और निर्वाचन-परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त होने वाली सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन-प्रचार प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली या

लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि एम्पलीफायर, चाहे किसी भी प्रकार के वाहनों पर फिट किए गए हों, या स्थैतिक स्थिति में हों, का **रात्रि में अप. 10.00 बजे से पूर्वा. 6.00 बजे के बीच** प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, किसी भी मतदान-क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी तरह के वाहनों पर फिट किए गए या किसी भी अन्य तरीके से लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए और राजनीतिक रूप से आवेशित माहौल में तनाव फैलाने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रोकने के लिए जिला प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे 48 घंटों की पूर्वोक्त निषिद्ध अवधि के उपरांत लाउडस्पीकरों का उपयोग करने हेतु अनुमति के लिए किसी भी आवेदन पर, प्रत्येक आवेदन के गुण-दोष पर और निर्वाचन के समाप्त होने तक उपयुक्त कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को ध्यान में रखकर, विचार करें।

साथ ही, आयोग सभी सम्मानित हितधारकों विशेषकर राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से इस बात के लिए सहयोग करने का अनुरोध करता है कि वे शिक्षण संस्थाओं जैसे स्कूल और कॉलेज; अस्पताल, सीनियर सिटीजन होम, आरोग्य-गृह, तथा रूग्ण, अशक्त या जरूरतमंद की देखभाल करने वाले **अन्य केन्द्रों के आसपास लाउडस्पीकरों और ध्वनि आवर्धन के इस्तेमाल से परहेज करें।**

(14) <u>कानून और व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध तथा बलों की तैनाती</u>

निर्वाचनों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है जिसमें न केवल मतदान कर्मियों, मतदान केन्द्रों तथा मतदान सामग्री की सुरक्षा शामिल है, अपितु इसमें मतदान प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा भी शामिल है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय तरीके से निर्वाचनों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु शांतिपूर्ण एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस बलों के अनुपूरक के रुप में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की तैनाती की जाती है। यह सब कुछ ध्यान में रखकर मतदान कार्यक्रम की रूपरेखा, बहुचरणीय निर्वाचनों के अनुक्रमण और प्रत्येक चरण के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के चयन को, बल की उपलब्धता और बल के प्रबंधन के तर्काधार पर आधारित होना होता है।

आयोग ने अनुकूल परिवेश का निर्माण करके निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं जिसमें प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी बाधा या बिना किसी से अनुचित रूप से प्रभावित/भयभीत हुए मतदान केन्द्र तक पहुंच सके।

जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और अन्य राज्यों से ली गई राज्य सशस्त्र पुलिस (एसएपी) इन निर्वाचनों के दौरान तैनात की जाएगी। **क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित करने, संवेदनशील पॉकेटों में रूट मार्च करने, ज्वाइन्ट पेट्रोलिंग करने तथा मतदाताओं,** विशेषकर कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि **को आश्वस्त करने तथा उनके मन में विश्वास जगाने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहले से ही तैनाती की जाएगी।** उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में, इलाके से भली-भांति अवगत होने और स्थानीय बलों के साथ तालमेल स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती समय से कर दी जाएगी तथा इन क्षेत्रों में मूवमेंट, प्रवर्तन कार्यकलापों आदि के लिए अन्य सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जमीनी वास्तविकताओं के आकलन के आधार पर **व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों एवं महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों में भी** केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/एसएपी की तैनाती की जाएगी। मतदान-दिवस की पूर्व-सन्ध्या के अवसर पर, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/एसएपी संबंधित मतदान केन्द्रों में पोजिशन ले लेंगे और उन्हें नियंत्रण में ले लेंगे तथा वे मतदान के दिन मतदान केन्द्रों की सुरक्षा करने तथा निर्वाचकों एवं मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, इन बलों का उन स्ट्राँग रूमों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जहां ईवीएम का भंडारण किया जाता है। इनका मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा के लिए और जरूरत पड़ने पर अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारीगण और राज्य पुलिस नाडेल अधिकारी शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन करने के लिए इन बलों के इस्तेमाल तथा प्रभावकारिता का इष्टतम रूप से इस्तेमाल करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/एसएपी की गतिविधियों तथा तैनाती की **दिन-प्रतिदिन के आधार पर अनुवीक्षण किया जाना** सुनिश्चित करेंगे एवं आयोग को समय-समय पर इसकी सूचना देंगे। इसके अतिरिक्त, विधानसभा खण्डों में पूरे बल की तैनाती का **निरीक्षण** आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त **केन्द्रीय प्रेक्षकों** के अधीन होगा।

आयोग इन राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने हेतु जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अग्रिम निवारक उपायों के संबंध में विशेष जोर देता है। आयोग जमीनी स्थिति का सतर्कतापूर्वक सतत अनुवीक्षण करता रहेगा और इन राज्यों में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगा।

(15) <u>अजा/अजजा तथा अन्य कमजोर वर्गों के निर्वाचकों को सुरक्षा प्रदान करना</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (2015 में यथा-संशोधित) की धारा 3(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीति से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा; वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा। आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इन उपबंधों को, इन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई किए जाने के लिए, सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं। संवेदनशील वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के मतदाताओं में आत्मविश्वास जगाने तथा मतदान प्रक्रिया की शुचिता तथा विश्वसनीयता में उनकी धारणा तथा विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/एसएपी को ऐसे क्षेत्रों में गश्त करने, रूट मार्च करने तथा केन्द्रीय प्रेक्षकों के पर्यवेक्षण में विश्वास बढ़ाने संबंधी उपायों के लिए व्यापक रूप से तथा बढ़-चढ़ कर उपयोग में लाया जाएगा।

(16) **<u>निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण:</u>**

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण के प्रयोजनार्थ समेकित अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें उड़न दस्तों (एफ.एस.), स्थैतिक निगरानी दलों (एसएसटी), वीडियो निगरानी दलों (वीएसटी) का गठन किया जाना, आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालयों की सहभागिता लेना आदि शामिल हैं। राज्य उत्पाद-शुल्क विभागों और पुलिस प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मदिरा और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर नजर रखें। उडन दस्तों/मोबाइल टीमों की कार्यप्रणाली और प्रचालनों पर जी पी एस ट्रैकिंग का प्रयोग करते हुए गहन निगरानी की जाएगी।

और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए और निर्वाचन खर्चों के अनुवीक्षण-कार्य की सहूलियत के लिए अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे एक पृथक बैंक खाता खोलें और उस खाता-विशेष से ही अपने निर्वाचन खर्चों को पूरा करें। आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय को कहा गया है कि वे इन राज्यों के हवाई अडडों में हवाई आसूचना इकाई खोलें और आसूचना भी जुटाएं तथा इन राज्यों में भारी मात्रा में धनराशि की आवाजाही के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

व्यय अनुवीक्षण तंत्र को सशक्त करने के लिए आयोग द्वारा उठाई गई कुछ नई पहल निम्नलिखित हैं:-

(क) नकदी को जब्त करने एवं अवमुक्त करने के लिए मानक प्रचालन प्रणाली:- निर्वाचनों की शुचिता बनाए रखने के प्रयोजनार्थ, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्र में

अत्यधिक प्रचार खर्चों, रिश्वत की वस्तुओं का नकद या वस्तु रूप में वितरण करने, अवैध हथियारों, गोला-बारूद, मदिरा, या असामाजिक तत्वों आदि के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए गठित उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी दलों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है।

जनसाधारण एवं ईमानदार लोगों को असुविधा से बचाने के लिए और उनकी शिकायतों, यदि कोई हों, का निवारण करने के लिए आयोग ने अपने अनुदेश सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खंड-।। दिनांक 29.05.2015 के जरिए अनुदेश दिया है कि जिले के तीन अधिकारियों, नामत: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/समुदाय विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, डीआरडीए (ii) जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी (संयोजक) और (iii) जिला कोषागार अधिकारी से बनी एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति पुलिस या एसएसटी या एफएस द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वमेव जांच करेगी और समिति जहां पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के प्रति कोई एफआईआर/शिकायत दाखिल नहीं की गई है या जहां जब्ती कोई अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या कोई निर्वाचन अभियान आदि से नहीं जुड़ी हुई है तो वह ऐसे व्यक्तियों को वैसी नकदी आदि रिलीज करने के लिए, उस आशय का सकारण आदेश पारित करने के उपरांत, तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों को देखेगी और जब्ती पर निर्णय लेगी। किसी भी परिस्थिति में जब्त नकदी/जब्त मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित मामले को मतदान की तारीख के बाद 7(सात) से अधिक दिनों के लिए तब तक लंबित नहीं रखा जाएगा जब तक कि कोई एफआईआर/शिकायत न दायर की गई हो।

(ख) प्रचार वाहनों के लिए उपगत व्यय का लेखांकन - प्रदत्त अनुमतियों के आधार पर:- आयोग के ध्यान में यह आया है कि अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी से प्रचार के प्रयोजनार्थ वाहनों के उपयोग की अनुमति लेता है परंतु कुछ अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय लेखा में वाहन भाड़े पर लेने का शुल्क या ईंधन व्यय नहीं दिखाते हैं। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी को अनुमति वापस लेने के लिए सूचित नहीं करता है तब तक प्रचार वाहनों के मद में कल्पित व्यय की गणना वाहनों की उस संख्या के आधार पर की जाएगी जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) लेखा-समाधान बैठक:- व्यय लेखे से संबंधित मुकदमों को कम करने के संबंध में, लेखे के अंतिम प्रस्तुतीकरण से पहले, परिणामों की घोषणा के बाद 26वें दिन, एक लेखा-समाधान बैठक आयोजित की जाएगी।

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों, उनके दलीय एजेंटों या दलीय नेताओं जो विदेश में रह रहे प्रवासी निर्वाचकों से अपने पक्ष में मत की याचना करने के लिए बाहर के देशों का दौरा करते हैं, के द्वारा अपनी यात्रा, भोजन तथा आवास आदि पर उपगत किए गए सभी व्यय, उनके निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा उपगत या अधिकृत व्यय माने जाएंगे और उन्हें निर्वाचन खर्चों के उनके लेखे में शामिल किया जाना होगा। इसके अलावा, निर्वाचन में मतदान करने के प्रयोजनार्थ भारत आने

के लिए हवाई टिकटों या उन्हें प्रलोभन के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज, चाहे वह नकदी या वस्तु रूप में हों, के माध्यम से प्रवासी निर्वाचकों को दिया गया कोई भी प्रलोभन भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अर्थ के भीतर 'रिश्वत' के निर्वाचकीय अपराध और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के अर्थ के भीतर 'रिश्वत' के भ्रष्ट आचरण के समान होगा।

(ड.) <u>अभ्यर्थी बूथ//(कियॉस्क) और अभ्यर्थी की निर्वाचकीय संभावनाओं को बढावा देने के लिए दल के स्वामित्व वाले टीवी/केबिल चैनल/समाचार पत्र पर उपगत व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन लेखे में सम्मिलित किए जाने हैं:</u>

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के संगत उपबंधों की आगे जांच करने पर निर्णय लिया था कि मतदान केन्द्रों के बाहर स्थापित अभ्यर्थियों के बूथ, इसके बाद से, अभ्यर्थियों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रचार के भाग के रूप में स्थापित किए गए माने जाने चाहिए और न कि सामान्य दलीय प्रचार के द्वारा और अभ्यर्थियों के ऐसे बूथों पर उपगत ऐसे सभी व्यय अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत/अधिकृत किए गए माने जाएंगे ताकि उन्हें निर्वाचन खर्च के उनके लेखे में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने उपर्युक्त मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भों/शिकायतों पर विचार करने के उपरांत आगे निर्देश दिया है कि यदि अभ्यर्थी (अभ्यर्थीगण) या उनके प्रायोजक दल अभ्यर्थी की निर्वाचकीय संभावनाओं को बढावा देने के लिए अपने स्वामित्व वाले टीवी/केबिल चैनल/समाचार पत्र का उपयोग करते हैं तो उसके निमित्त चैनल/समाचार पत्र के मानक रेट कार्ड्स के अनुसार खर्च को संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय विवरण में शामिल किया जाना होगा, चाहे उन्होंने चैनल/समाचार पत्र को वास्तव में कोई धनराशि का भुगतान किया हो या नहीं।

आयोग के पूर्वोक्त निर्णयों के अनुसरण में, निर्वाचन खर्च के सार विवरण में अनुसूची 6 और अनुसूची 4 में संशोधन कर दिया गया है और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह में तदनुरूप समाविष्ट कर दिया गया है।

(च) <u>अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन खर्चों की ऊपरी सीमा :</u>

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2014 के जरिए अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन खर्चों की ऊपरी सीमा में संशोधन कर दिया गया है। संशोधित ऊपरी सीमा के अनुसार, **कर्नाटक राज्य के लिए विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन खर्चों की अधिकतम सीमा प्रति अभ्यर्थी 28 लाख रु. है।** सभी अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे निर्वाचन-परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर व्यय के अपने लेखे उपलब्ध कराएं।

(छ) राजनीतिक दलों द्वारा अंतिम लेखा:

विधानसभा निर्वाचनों के लिए अभ्यर्थियों को प्रायोजित करने वाले सभी राजनीतिक दलों के लिए अपेक्षित है कि वे सभी निर्वाचन अभियान खर्चों के दिन-प्रतिदिन के लेखे को मेंटेन करें और इस तरह के निर्वाचनों के पूरा होने के 75 दिनों के भीतर आयोग को लेखे प्रस्तुत करें। ऐसे लेखे आयोग की वेबसाइट पर जन सामान्य के द्वारा देखने के लिए अपलोड किए जाएंगे।

(17) <u>मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल करना:</u>

(क) मीडिया परिनियोजन:

आयोग ने हमेशा मीडिया को एक महत्वपूर्ण सहयोगी और प्रभावी एवं कुशल निर्वाचन प्रबंधन सुनिश्चित करने में एक सशक्त फोर्स मल्टीप्लायर माना है। इसलिए, आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निदेश दिया है कि वे मीडिया के साथ सकारात्मक और प्रगतिशील संबंध बनाने एवं इंटरएक्शन करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें:

क) निर्वाचनों के दौरान मीडिया के साथ नियमित इंटरएक्शन और मीडिया के साथ हर समय संचार का एक प्रभावी और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना।

ख) राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी एवं प्रवक्ता की नियुक्ति करके राज्य और जिला स्तर पर मीडिया के लिए एक प्रभावी सूचना प्रसार प्रणाली बनाने पर सुदृढ़ एवं सम्मिलित रूप से ध्यान देना ताकि मीडिया को निर्वाचन-संबंधी आंकड़ों एवं सूचना की यथासमय एवं नियत अभिगम्यता सुलभ हो सके।

ग) निर्वाचन संहिता के बारे में मीडिया को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम।

घ) मतदान के दिन और मतगणना के दिन के लिए सभी मान्यता-प्राप्त मीडिया को प्राधिकार-पत्र जारी किए जाएंगे।

आयोग उम्मीद करता है कि मीडिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, सहभागी, शांतिपूर्ण और विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न करने की दिशा में प्रयासों का सम्पूरण करने एवं इसे सहज करने में एक सकारात्मक, अग्र-सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाएगा।

(ख) <u>पेड न्यूज़:</u>

'पेड न्यूज़' के खतरे से निपटने के लिए जिला, राज्य तथा ईसीआई स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) के तीन स्तरों पर एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 'पेड न्यूज़' पर संशोधित व्यापक अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे जिलों में 'पेड न्यूज' और 'पेड न्यूज' पर अंकुश लगाने के बारे में तंत्र के बारे में राजनीतिक दलों की ब्रीफिंग सुनिश्चित करें।

(ग) <u>राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण:</u>

आयोग ने निर्णय लिया है कि निर्वाचन-प्रचार में और फोन पर थोक एसएमएस/वॉयस संदेश भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण के दायरे में होंगे जैसाकि सभी इलेक्ट्रानिक मीडिया/टीवी चैनल/केबल नेटवर्क/रेडियो, जिनमें गैर-सरकारी एफएम चैनल/सिनेमा हॉल/सार्वजनिक स्थानों में दृश्य-श्रव्य डिस्प्ले और सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन सम्मिलित हैं, के मामले में होता है।

(18) <u>सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)</u>

विशेष नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता हेतु व्यापक उपाय किए गए थे। ये उपाय जारी रहेंगे और आगामी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान इनमें और अभिवृद्धि की जाएगी।

न्यूनतम टर्नआउट वाले मतदान केन्द्रों की पहचान कर ली गई है और अपेक्षाकृत कम टर्नआउट रहने के संभव कारणों का विश्लेषण कर लिया गया है और प्रवर्धित आईएमएफ (सूचना, प्रेरणा और फैसिलिटेशन) के लिए निष्कर्षों के आधार पर लक्षित इंटरवेन्शनों की ध्यानपूर्वक योजना बनाई गई है और 'कोई भी मतदाता न छूटे' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्हें लागू किया गया है। इसमें राज्य और जिलों में नि:शक्त व्यक्तियों तथा अभिचिह्नित उपेक्षित वर्गों के लिए विशेष आउटरीच उपाय किया जाना शामिल है।

मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए कर्नाटक के सभी जिलों में मतदाता सुविधा केन्द्रों को सक्रिय कर दिया गया है। इन राज्यों में विधान सभा निर्वाचनों में वीवीपीएटी का पहली बार इस्तेमाल किए जाने के दृष्टिगत अक्तूबर 2017 से शुरू करके वीवीपीएटी जागरूकता पर विशेष अभियान शरू किए गए हैं। वीवीपीएटी पर संक्षिप्त जागरूकता वीडियो तैयार किया गया है और सिनेमा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और न्यू मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। होर्डिंग्स, एसएमएस के माध्यम से भी वीवीपीएटी जागरूकता फैलाई जा रही है और सभी ब्लॉकों और स्थानीय बाजारों को कवर करने के लिए वीवीपीएटी से लैस मोबाइल वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

निर्वाचन संबंधी सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के साथ-साथ मतदान में लोगों की व्यापक सहभागिता के लिए पर्याप्त फैसिलिटेशन उपाय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मतदाताओं की सहायता के लिए वोटर हेल्पलाइनें, मतदाता सुविधा केन्द्र वेब एवं एसएमएस आधारित सर्च सुविधाएं सक्रिय हैं। मतदान दिनों पर अनुस्मारक सेवाओं की ध्यानपूर्वक योजना बनाई गई है।

आयोग के निदेशों के अनुसार, मतदाताओं को शिक्षित करने और जागरुक एवं नीतिपरक मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए मतदान केंद्रों पर बूथ जागरूकता समूह भी सक्रिय किए गए हैं। युवाओं के बीच निर्वाचकीय सहभागिता की प्रेरणा देने और इसे सुकर करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कैम्पस राजदूत सक्रिय किए गए हैं।

स्वीप पहल की अधिकतम आउटरीच के लिए विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सीएसओ और मीडिया के साथ भागीदारियां और अधिक सुदृढ़ की गई हैं। निर्वाचक मंडल के विभिन्न वर्गों की अपेक्षा के अनुसार कस्टमाइज्ड अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रेरणात्मक संदेश तैयार किए गए हैं। सूचना के प्रचार-प्रसार के सभी उपलब्ध मंचों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक, डिजीटल, आउटडोर, प्रिंट, लोक, अंतर-वैयक्तिक एवं सोशल मीडिया शामिल हैं, का उपयोग किया जा रहा है।

(19) <u>रिटर्निंग अधिकारियों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम:</u>

रिटर्निंग अधिकारियों के लिए अपेक्षित है कि वे मतदानों के संचालन से संबंधित विभिन्न नियमों एव अनुदेशों से निरंतर अवगत होते रहें। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने **सभी रिटर्निंग अधिकारियों के लिए** गहन प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की शुरुआत की है। साथ ही, ऐसे सभी निर्वाचन प्रशिक्षकों को, जो निर्वाचनों के संचालन से जुड़े विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे, **प्रशिक्षकों एवं फैसिलिटेटरों को प्रशिक्षित करना (टीटीएफ)** कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण तकनीकों और कार्य-पद्धति में प्रशिक्षित किया गया है। विभिन्न स्तरों पर टीम लीडरों को भी नेतृत्व प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रकार, यह उम्मीद है कि राज्य में निर्वाचन अधिकारी अब तक निर्वाचनों का सुचारू तरीके से संचालन करने में कहीं अधिक निपुण एवं कुशल हो गए होंगे।

(20) <u>केन्द्रीय प्रेक्षकों की तैनाती</u>

क. <u>सामान्य प्रेक्षक</u>

आयोग निर्वाचनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक में पर्याप्त संख्या में सामान्य प्रेक्षकों को तैनात करेगा। प्रेक्षकों से कहा जाएगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखें। उनके

नाम, जिला/निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर पते और उनके टेलीफोन नम्बरों का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि सामान्य जन किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण करने के लिए उनसे शीघ्रतापूर्वक संपर्क कर सके। प्रेक्षकों को तैनात किए जाने से पूर्व आयोग द्वारा उनकी विस्तारपूर्वक ब्रीफिंग की जाएगी। प्रेक्षक राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं अन्य हितधारकों की निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए प्रति दिन उचित समय पर उनके साथ बैठक सुनिश्चित करेंगे।

ख. <u>पुलिस प्रेक्षक</u>

आयोग जमीनी वास्तविकताओं की जरूरत, संवेदनशीलता और आकलन तथा विद्यमान कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा परिदृश्य के आधार पर कर्नाटक में जिला/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र स्तर पर पुलिस प्रेक्षकों के रूप में वरिष्ठ आई पी एस अधिकारियों को तैनात कर सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए वे बलों की तैनाती, कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित सभी कार्यकलापों का अनुवीक्षण करने के साथ-साथ नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

ग. <u>व्यय प्रेक्षक</u>:-

आयोग ने **व्यय प्रेक्षकों** एवं **सहायक व्यय प्रेक्षकों** को पर्याप्त संख्या में नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का अनन्य रूप से अनुवीक्षण करेंगे। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान **24 घण्टे टोल फ्री नम्बरों** के साथ **नियंत्रण कक्ष** एवं **शिकायत अनुवीक्षण केंद्र** कार्यशील होंगे। बैंकों एवं भारत सरकार की वित्तीय आसूचना ईकाईयों से संदेहास्पद नकदी निकासी रिपोर्टें निर्वाचन अधिकारियों को अग्रेषित करने के लिए कहा गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण के उद्देश्य के लिए विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए गए हैं और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट <www.eci.nic.in> पर उपलब्ध हैं।

(घ) <u>माइक्रो ऑबज़र्बर्स</u>

विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों में मतदान वाले दिन मतदान कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने के लिए सामान्य प्रेक्षक, केंद्रीय सरकार/लोक उपक्रमों के अधिकारियों में से माइक्रो आबजर्वर्स नियुक्त करेंगे। माइक्रो आबज़र्वर मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर छद्म मतदान के आयोजन से लेकर मतदान के पूरे होने तक की प्रक्रियाओं, ईवीएम एवं वीवीपीएटी सील करने की प्रक्रिया और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयोग के सभी अनुदेशों का मतदान दलों और

मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अनुपालन किया जाए। वे अपने आबंटित मतदान केंद्रों में मतदान कार्यवाहियों में कोई गड़बड़ी होने के संबंध में सामान्य प्रेक्षकों को सीधे रिपोर्ट करेंगे।

(21) आगामी साधारण निर्वाचन के लिए उपयोग किए जाने वाले नए आई टी एप्लीकेशन:-

(क) <u>समाधान: लोक शिकायत निवारण एवं अनुवीक्षण प्रणाली</u>

सभी के लिए शिकायतें, आशंकाएं आचार संहिता उल्लघंन पंजीकृत करने और हमारे विभिन्न हितधारकों जैसे राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, सिविल सोसायटी समूहों आदि सहित आम जनों द्वारा कोई भी सुझाव देने के लिए एक सामान्य मंच उपलब्ध करवाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक व्यापक, सशक्त एवं विश्वसनीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली तैयार की गई है। एक नागरिक के पास भांति-भांति के माध्यमों/स्रोतों जैसे वेबसाइट, ई-मेल, पत्र, फैक्स, एसएमएस, कॉल-सेंटर (कॉल सेंटर नंबर **"1950"** है) आदि के जरिए निर्वाचन संबंधी कोई भी शिकायत दर्ज करने की बहुविध सुविधा है। लोगों के लिए एक मोबाईल एप भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वे एक सामान्य प्लेटफार्म पर फोटोग्राफ/वीडियो सहित शिकायतें प्रस्तुत कर सकें।

(ख) <u>सुविधा: एकल खिड़की अनुमति प्रणाली</u>

निर्वाचन प्रचार संबंधी सभी अनुमतियां/अनुमोदन 24 घण्टे के भीतर प्राप्त करने के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली बनाई गई है। इस प्रणाली में, अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल बैठकों, रैलियों, वाहनों, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकरों आदि के लिए एक एकल लोकेशन पर अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां विभिन्न प्राधिकरणों/विभागों का बैक-एण्ड अभिसरण किया गया है। यह प्रणाली प्रत्येक सब-डिवीजन में प्रत्येक आर ओ स्तर पर स्थापित की गई है जो सहक्रियाशील तरीके में आवेदन करना, प्रक्रिया करना, अनुमतियां देना और इनका अनुवीक्षण करना उपलब्ध करवाएगी। यद्यपि, हेलिकॉप्टर उपयोग करने/लैंड करने एवं हेलिपैड का उपयोग करने के लिए अनुमति के मामले में, आवेदन अग्रिम रूप में कम से कम 36 घण्टे पहले प्रस्तुत करना होगा।

(ग) सुगम: <u>वाहन प्रबंधन प्रणाली</u>

यह वाहनों के लिए मांग पत्र जारी करने, पते, मोबाइल नंबर और मालिक एवं चालक के बैंक विवरण के साथ वाहन विवरणों को दर्ज रखने, एक जिले से दूसरे जिले आदि में वाहनों को स्थानांतरित करने की सुविधा से युक्त एक आईटी-आधारित वाहन प्रबंधन प्रणाली है।

(घ) <u>मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग/सी सी टी वी का प्रयोग:-</u>

निर्वाचन प्रक्रिया के लाईव अनुवीक्षण हेतु अभिज्ञात महत्वपूर्ण/अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाती है ताकि गैर-विधिक क्रियाकलापों यथा बूथों पर कब्जा करना, धन वितरण और फर्जी मतदान पर नियंत्रण रखा जा सके और मतदान प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सके। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी निर्वाचन-क्षेत्रों की विभिन्न सीमा जांच चौकियों, नाकों और अन्य संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सी सी टी वी अनुवीक्षण और वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने के लिए रची गई कोई भी घृणित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।

(ड.) <u>सी.ई.ओ., कर्नाटक की वेबसाइट (www.ceokarnataka.kar.nic.in) पर मतदाता केन्द्रित सूचना प्रचार संबंधी पहल</u>

आयोग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि निर्वाचन संबंधी विविध सेवाओं और सूचना का पता लगाने के लिए देश भर में मतदाताओं को सुविधा दी जाए। इस विज़न के भाग के रूप में एक एसएमएस आधारित सर्च सुविधा और मतदाता हितैषी इंटरएक्टिव वेबसाइट का पहले ही शुभारंभ कर दिया गया है और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

(च) <u>सेवा मतदाताओं के लिए एक-मार्गीय इलेक्ट्रॉनिक प्रेषित डाक मतपत्र :</u>

सभी पंजीकृत सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र (ईटीपीबीएस) के माध्यम से उनके संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र का ई-डाक मतपत्र वितरित किया जाएगा जो मुद्रित किया जाएगा और मत डाले जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी को डाक द्वारा वापस भेज दिए जाएंगे।

(22) <u>अधिकारियों का आचरण</u>

आयोग निर्वाचनों के संचालन में कार्यरत सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन करें। उन्हें आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है और वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे। उन सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण, जिन्हें निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी और कर्तव्य सौंपे गए हैं, निरंतर आयोग की संवीक्षा के अधीन रहेगा तथा उन अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी।

(23) <u>मतदान दिवस अनुवीक्षण प्रणाली</u>

मतदान दिवस अनुवीक्षण प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदान दिवस पर महत्वपूर्ण घटनाओं और गतिविधियों का 24 घंटे लगातार और कड़ा अनुवीक्षण किया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण घटनाएं यथा मतदान दलों का पहुंचना, मतों का डाला जाना, मतदाताओं के फोटो इत्यादि लिए जाएंगे और अत्याधुनिक आई टी एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए इसका अनुवीक्षण किया जाएगा, इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि इसका ऑफ लाइन भी प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि नेटवर्क की गैर-कनेक्टिविटी में भी काम किया जा सके। एप्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जैसे ही कवरेज एरिया में आता है, ऑफ लाइन रूप से लिया गया सभी डाटा केन्द्रीयकृत सर्वर के साथ समक्रमिक बना दिया जाता है। इस एप्प के माध्यम से हम लिंगवार, आयुवार और खंडवार वोटर टर्नआउट का अनुवीक्षण कर सकते हैं।

(24) <u>नई पहल</u>

1. सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपीएटी का प्रयोग:

निर्वाचनधीन कर्नाटक राज्य के 224 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के सभी 56,696 मतदान केन्द्रों में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा जिससे निर्वाचनों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। प्रायोगिक आधार पर, प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में एक (1) मतदान केन्द्र से वीवीपीएटी का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा ताकि कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणाम के सत्यापन के लिए वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को गिना जा सके।

2. <u>पूरी तरह महिला द्वारा संचालित मतदान केन्द्र</u> <u>:</u>

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदान केन्द्र में पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा जिसमें पुलिस और सुरक्षा कर्मियों सहित पूरा मतदान स्टॉफ महिलाएं ही होंगी। पूरे कर्नाटक राज्य के लिए पहली बार महिलाओं द्वारा संचालित कुल 224 मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

3. <u>बूथस्तरीय योजना:</u>

देश में पहली बार बूथस्तरीय योजना और प्रबंधन का एक नवाचारी "बॉटम अप" दृष्टिकोण कर्नाटक राज्य में क्रियान्वित किया गया है जिसमें 56,696 मतदान केन्द्रों के लिए बूथस्तरीय योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में प्रत्येक मतदान केन्द्र में निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए रिस्पांस हेतु सभी प्रकार की सूचना एवं मानक प्रचालन कार्यविधियां अंतर्विष्ट

की गई हैं। इन बूथस्तरीय योजनाओं का उपयोग विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र स्तरीय, जिलास्तरीय और राज्यस्तरीय निर्वाचन प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए किया गया है।

4. <u>ई-एटलस:</u>

नए नवोन्मेषण के रूप में कर्नाटक राज्य में निर्वाचन योजना के लिए निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों की जीआईएस आधारित योजना, क्रियान्वयन और अनुवीक्षण को क्रियान्वित किया जा रहा है।

5. <u>वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए ई-भुगतान गेटवे:</u>

सभी प्रकार के भुगतान (i) "निर्वाचन ड्यूटियों" के लिए तैनात सभी असैन्य कर्मचारियों/पुलिस कर्मियों के लिए यथासमय भुगतान (ii) निर्वाचन प्रयोजन के लिए मंगाए गए वाहनों के सभी मालिकों के यथासमय भुगतान, (iii) सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी ड्यूटियों के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने वाले सभी विक्रेताओं के लिए यथासमय भुगतान करने के लिए ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

6. <u>सेवा मतदाताओं का पंजीकरण एवं ईटीपीबीएस:</u>

पूर्व में आयोग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा मणिपुर के 4 राज्यों में एवं सम्पूर्ण गोवा राज्य में ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रॉनिक प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली) को क्रियान्वित किया। ईटीपीबीएस का 2017-18 के दौरान संचालित सभी राज्य विधान सभा निर्वाचनों में उपयोग किया गया था और इसका कर्नाटक निर्वाचन में भी उपयोग किया गया था।

घ. <u>नि:शक्त निर्वाचकों के अनुकूल मतदान केन्द्र:</u>

सभी नि:शक्त निर्वाचकों को सभी मतदान केन्द्रों में विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

(25) <u>निर्वाचन की अनुसूची</u>

आयोग ने सभी संगत पहलुओं यथा जलवायु संबंधी परिस्थिति, शैक्षिक कैलेण्डर, मुख्य त्योहारों, राज्य में विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति, केंद्रीय पुलिस बल की उपलब्धता, आवाजाही, पारवहन के लिए अपेक्षित समय, बलों की यथासमय तैनाती तथा अन्य संगत जमीनी वास्तविकताओं के गहन विश्लेषण पर विचार करते हुए कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन करवाने के लिए अनुसूचियां तैयार की हैं।

सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात आयोग ने कर्नाटक के राज्यपाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के संगत उपबंधों के अधीन साधारण निर्वाचनों हेतु **संलग्न अनुसूची** के अनुसार अधिसूचनाएं जारी करने के लिए संस्तुति करने का निर्णय लिया है।

आयोग निर्वाचन प्रक्रिया में सभी सम्मानित हितधारकों का सक्रिय सहयोग, निकट सहकार्यता और रचनात्मक भागीदारी चाहता है और स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी और विश्वसनीय साधारण निर्वाचन संपन्न करने की दिशा में सामूहिक सहक्रियाओं का उपयोग करने का प्रयास करता है।

ह./-
(जयदेब लाहिड़ी)
सचिव

अनुबंध

कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2018 के लिए अनुसूची:

मतदान आयोजन	**अनुसूची**
राजपत्रित अधिसूचना जारी करने की तारीख	**17.04.2018 (मंगलवार)**
नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	**24.04.2018 (मंगलवार)**
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख	**25.04.2018 (बुधवार)**
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	**27.04.2018 (शुक्रवार)**
मतदान की तारीख	**12.05.2018 (शनिवार)**
मतगणना की तारीख	**15.05.2018 (मंगलवार)**
वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएंगे	**18.05.2018 (शुक्रवार)**